

राजस्थान-सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
कमांक:-एफ3(ख)(1)/अलेसे-11/2183 **दिनांक 27/12/2017**
शुद्धि पत्र

इस विभाग के पूर्व में जारी स्थानान्तरण आदेशों में निम्नानुसार संशोधन/शुद्धिकरण किया जाता है :-

क्र. सं.	विभागीय आदेश संख्या व दिनांक	आदेश की क्रम संख्या	नाम कार्मिक सर्वश्री	संशोधन
1.	269/17-18 दि. 24.12.2017	10	अरविन्द कुमार शर्मा (लिनक न. 3809)	आदेश के कॉलम संख्या 04 में अंकित " प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सेठीकॉलोनी, जयपुर " के स्थान पर " प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बनीपार्क, जयपुर " पढ़ा जावे ।
2.	269/17-18 दि. 24.12.2017	112	राजेश कुमार खण्डेलवाल (लिनक न. 2250)	आदेश के कॉलम संख्या 05 में अंकित " प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सेठीकॉलोनी, जयपुर " के स्थान पर " प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बनीपार्क, जयपुर -20399" पढ़ा जावे ।
3.	269/17-18 दि. 24.12.2017	157	सुरेन्द्र सिंह रत्न (लिनक न.5372)	आदेश के कॉलम संख्या 05 में अंकित " मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर " के स्थान पर " अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर-762 " पढ़ा जावे ।
4.	269/17-18 दि. 24.12.2017	35	चन्द्रशेखर आजाद (लिनक न. 3677)	आदेश के कॉलम संख्या 04 में अंकित " अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (एसबी) (शहर), गृह विभाग, जयपुर " के स्थान पर " अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस सीआईडी अपराध शाखा, जयपुर " पढ़ा जावे ।
5.	96/17-18 दि. 04.07.2017	55	धनश्याम शर्मा (लिनक न. 2087)	आदेश के कॉलम संख्या 05 में अंकित " गृह (ग्रुप-2) विभाग, सचिवालय, जयपुर " के स्थान पर " निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर-4" पढ़ा जावे ।
6.	268/17-18 दि. 24.12.2017	13	तुलसीदास अरोड़ा (लिनक न. 5172)	आदेश के कॉलम संख्या 05 में अंकित " उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, अलवर " के स्थान पर " खनि अभियन्ता, खनिज विभाग, अलवर-10163 " पढ़ा जावे ।
7.	268/17-18 दि. 24.12.2017	01	त्रिलोक चंद शर्मा (लिनक न. 5984)	आदेश के कॉलम संख्या 05 में अंकित " खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, कोटकासिम (अलवर) " के स्थान पर " अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, अलवर-19497 " पढ़ा जावे ।

विभागीय आदेश संख्या 269/17-18 दिनांक 24.12.2017 के क्र.सं. संख्या 31 पर अंकित श्री गिरिराज प्रसाद, सलेअ-11 (लिनक नम्बर 2446), आदेश संख्या 267/17-18 दिनांक 24.12.2017 के क्र.सं. संख्या 03 पर अंकित श्री अशोक कुमार गुप्ता, क.लेखाकार (लिनक न. 3843), आदेश संख्या 270/17-18 दिनांक 24.12.2017 क्र.सं. संख्या 71 पर अंकित श्री भीजाराम, सलेअ-11 (लिनक नम्बर 9379), आदेश संख्या 270/17-18 दिनांक 24.12.2017 क्र.सं. 17 पर श्री नरेन्द्र विशनोई, सलेअ-11 (लिनक नम्बर 9321) का नाम विलोपित किया जाता है ।


 (सांवरमल)

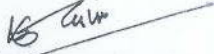
अतिरिक्त निदेशक [कार्मिक-11]

दिनांक 27/12/2017

कमांक:-एफ3(ख)(1)/अलेसे-11/2183

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- 1 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
- 2 विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
- 3 श्रीसलेअ-11/11 कार्यालय
- 4 उपनिदेशक, (एसपी) को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु ।
- 5 अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदया ।
- 6 रक्षित पत्रावली ।


 अतिरिक्त निदेशक [कार्मिक-11]